THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I cannot allow it. I am sorry.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No. I am sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You have already taken seven minutes. You cannot speak in between every speaker.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You can speak tomorrow.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:**

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो वे यह विधेयक लाये हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI RAM AWADHESH SINGH:**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No. what are saying is without my pemission. It will not go on record. It is over. I am sorry. There has to be some order. I cannot allow you to speak in between every speaker on the same issue. I have allowed you for seven minutes, which is more than the time allowed in the Special Mentions. You have spoken the most. I cannot allow you any more. I am sorry. Shrimati Satya Bahin, you please speak from there.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 1991—Contd.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। महोदय, यह जो जम्मू और कश्मीर के संबंध में विधेयक माननीय कल्याण मंत्री जी लाये हैं, जिसमें भूली-बिसरी कुछ ट्राइब जातियों और उन-जातियों को सूची-बद्ध करने का प्रावधान है, इसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। लेकिन, महोदय, यह अकेले जम्मू और कश्मीर का मसला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इस दिशा में पूरे देश में एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और जो पिछड़ी, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और इनमें भी जो जाति अधिक पिछड़ी है, दलित हैं, उनको भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। महोदया, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को ही लें। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई अनुसूचित जातियां नहीं हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बहुत पहले से रिप्रजन्टेशन देते रहे हैं, केन्द्र सरकार को कि उनको सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बंजारा गैहारा समुदाय है। यह सरकार से काफी पहले से यह मांग करता आ रहा है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : कौन ?

श्रीमती सत्या बहिन : गेहारा यह बंजारा बहेलियों में आता है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कपड़िया या कपड़िया जो समदाय है उसको भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जैसे कि कठपुतली बनाने वाले और दूसरे लोग हैं, शहद निकलने वाले लोग हैं, इनका भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उनको भी ये सुविधायें मिलनी चाहिए।

दूसरा, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहती हूं कि उनको सूचीबद्ध करके इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, एक वृहद कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, जो परम्परागत पेशों में है। जो उनको पेशा है, जो उनका पारिवारिक पेशा है उसका सुधार हेतु सर्वेक्षण होना चाहिए और जो भूमिहीन हैं उनको भूमि देनी चाहिए और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनके पेशे का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ शिक्षा के प्रचार में व्यापक सुधार लाया जाना चाहिए।

**Not recorded.

महोदया, इन लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं और इसके संबंध में इस सदन में भी और लोक सभा में भी बार बार चिंता व्यक्त की जाती रही है। आज ही इस संबंध में मैंने विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। महोदया, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले वर्ष चित्तौड़गढ़ में एक समुदाय पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि उस समुदाय को जरायम-पेशा समुदाय माना जाता है। अगर वहां पर कोई भी घटना होती है, चाहे उसे कोई भी करे, लेकिन उसमें इस समुदाय का नाम होता है और कहा जाता है कि क्योंकि ये जराय-मपेशा समुदाय, समाज के लोग हैं इसलिए इस तरह की घटनायें और अपराध इनके द्वारा ही किये जाते हैं। महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जरायम पेशा नाम से जो सूची है....

1.00 P.M.

अगर संविधान में ऐसा है कि किसी एक समदाय को जरायमपेशा कहा जाता है तो मैं अनरोध करूंगी कि इसे सूची में से हटा दिया जाना चाहिए, इस जरायमपेशा शब्द को असंवैधानिक मान लेना चाहिए। जरायमपेशा के नाम से किसी भी समुदाय को पुकारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह दुर्भावना पैदा करता है लोगों के दिलों में। हमारे समाज में यह लोग चाहे कितनी मेहनत कर के, ईमानदारी से और सही तरीके से कानूनी रूप से अपना जीवनयापन करते हैं लेकिन यदि उनको जरायमपेशा या अपराधी समदाय माना जाता है, यह उचित नहीं है। मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहती हूं और साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि इसमें बहुत व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार और माननीय कल्याण मंत्री जी इस संबंध में व्यापक सुधार करके इन जातियों की स्थिति में सुधार लायगे और इन जातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए व्यापक सुधार का कायक्रम बनायेंगे। महोदया, जो बजट लाया गया है इसमें बहुत सी समितियों का उल्लेख किया गया है लेकिन इनको स्वावलम्बी बनाने की दिशा में किसी समिति का उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं माननीय कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वे इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करवायें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Madam Vice-Chairpeson, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I am going to speak in Bengali.

*SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Madam, I rise to support the Bill which seeks to include certain tribal communities in the list of Scheduled Tribes. Some Membes here have demanded the inclusion of certain tribes from Karnataka in the list of Scheduled Tribes. My party and myself support that demand.

The Hon. Minister has said in the Statement of Objects and Reasons that the State Government of Jammu and Kashmir had been making demands for a long time for the inclusion of these four tribal communities, as mentioned in the Bill. But the Central Government has accepted their demand after a long time. It is not the question of four tribal communities of Jammu and Kashmir alone. We have many tribal Communities in Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa who have not yet found a place in the list of Scheduled Tribes even after forty-five years of independence. As a result, they have been deprived, of various benefits conferred upon them under the Constitution. We feel that such tribals of the said States should also be included in the list of Scheduled Tribes so that they can also enjoy the various benefits like other tribals in the Country.

Madam, it is not the question of conferring economic benefits alone upon the tribals. We shall have to see that their languages, education and cultures are protected properly. We have noticed that the languages of many tribal communities living in our country have not been developed fully. Their cultures also have not been developed fully. Consequently, the cultures of such tribals are almost on the point of extinction. Naturally, the tribals have be-

*English translation of the original speech delivered in Bengali.

[Shri Narayan Kar]

come very much concerned with the preservation of their culture. We find serious discontent among the tribals on account of this. The Imperialist Powers and Secessionist forces are taking advantage of this kind of discontent among the tribals.

I come from the North Eastern Region. There the tribals have discontent due to non-preservation of their languages and cultures. The Imperialist Powers are taking advantage of their discontent and inciting them to scede from India. For such secessionist tendencies among the tribals the policy of the Government of India on tribals is responsible. On the basis of that policy it has not been possible so far to develop the languages and cultures of the tribals in India.

The tribals are unable to enjoy the protection that has been given to them under the Constitution. Consequently, tribals have started demanding Autonomous Councils. My party feels that the traibals should be conceded Autonomous Councils so that they can preserve their languages, cultures and their ancient civilisations. My party further feels that such an autonomy to the tribals is not outside the frame-work of the Constitution of India. But the tribals have been deprived of their legitimate rights due to forty-five years' mis-rule of Congress Government at the Centre. As a result, the Imperialist Powers and secessionist forces are taking full advantage of the growing discontent among tribals in our country. In certain States Naxalities are also taking advantage of such a discontent among the tribals.

Our Home Minister had a meeting with the Chief Ministers of certain States the day before yesterday in order to find out ways and means to curb the activities of the Naxalites. We do not think that the activities of Naxalities can be curved through Military force or Police Force. We can pacify the tribals only by conceding their legitimate demands. Tribals are justified in rising in discontent if they find that their communities are on the point of extinction.

Madam, the tribal problem is very acute in Tripura. In this old tribal Princely State due to the influx of refugees from East Pakistan the tribals are now 28 per cent of the total population there. The influx of refugees is still on from present Bangladesh not only in Tripura but also in other parts of North Eastern Region.

It is known to all the Members in this House that the Communist Party (Marxists) government established Autonomous District Council for the tribals in Tripura. The refugees are entering those areas also which are under the jurisdiction of the Autonomous District Council. The main object behind the movement of refugees in those areas is to turn the tribals into minorities in their own areas and such a movement has been possible due to the policy of the present Congress Government there.

Madam, when we were struggling for the rights of the tribals in Tripura, the Congress Party in Tripura and its the then president were opposed to the establishment of Autonomous District Council in that State. The said President of the Congress Party wanted the non-tribals to send him to the Lok Sabha so that he can move an amendment to repeal the Sixth and Seventh Schedules to the Constitution. It is our misfortune that we are still following a policy which does not safeguard the interests of the tribals.

I demand that Inner Line Permit should be introduced in Tripura. The Tripura Legislative Assembly has accepted this demand by passing a Resolution unanimously. If the Hon. Minister is sympathetic to the cause of tribals, he should accept this demand of introducing Inner Line Permit in Tripura. This Inner Line Permit is in operation in other States of the North Eastern Region to safeguard the interests of tribals there.

The tribals of the North Eastern Region cannot be pacified by mere tall promises made through media like T.V., Radio and the Press at the time of elections. If the Hon. Minister has an iota of sym-

pathy for the tribals, he should see to it that tribals are conceded minimum autonomy in their own affairs. He should also see to it that tribals are given full opportunities to develop their languages and cultures. With these words, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Shri Pragada Kotaiah. Not present. Shri G. Y. Krishnan. You have two minutes.

SHRI G. Y. KRISHNAN (Karnataka): I would try to conclude within a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please be brief.

SHRI G. Y. KRISHNAN: Madam, this a welcome move by the Government and the hon. Minister to introduce this Bill. This Bill is based on the ordinance issued earlier. In the ordinance, few communities had been left out. Perhaps the reason for that was that a consolidated Bill would be brought before the Parliament including all those communities which were equally distressed and backward. With that intention, they might have been dropped. Among many others, the four important communities to be included in the comprehensive Bill are Nayaka Nayakada, Beda and Besta of Karnataka as per the ordinance issued earlier. While the Government has taken a good step by bringing this Bill, we are sure that the Government will also take steps to include several other communities which have been equally backward. All such communities should be included according to the recommendations of the State Governments. I urge through you, Madam, that a comprehensive Bill including all such communities should be brought before Parliament and passed. Thank you, Madam.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मैं महोदया, इस विधेयक की सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहता हूं हलांकि देश भर में बहुत सी जातियां हैं जिनका उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि गूजर, बकरावल, गद्दी और सिप्पी ट्राइब्स को जोड़ा गया है। सामान्यत: ये लोग जम्मू-कश्मीर की सीमाओं पर रहते हैं और यह वह क्लास है जो कि साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर देशभक्ति के साथ टेरोरिस्ट्स के खिलाफ लड़ने की तैयारी करता रहा है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और यह समझता हूं कि इनको सुविधायें दी जायेंगी। इसके साथ इनकी सेवायें सीमा की सुरक्षा के लिए भी ली जानी चाहिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत बड़ा सेक्शन वैली का हिन्दुस्तान के खिलाफ है। लेकिन चार-पांच जिन जातियों का कहा गया है, यह वह है जोकि सीमा की रक्षा के लिए सहायक होंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुंछ और राजौरी जिले में कुछ जातियां हैं, जिनको कि पहाड़ी ही कहा जाता है—जाति का नाम ही पहाड़ी है—उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है।

मेरी जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव केन्द्र के पास आया था, उसमें इस पहाड़ी जातियों को जोड़े जाने की सिफारिश है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि उन्होंने कश्मीर सरकार की इस सिफारिश को कि पुंछ और राजौरी क्षेत्र की पहाड़ी जातियां भी इस ट्राइब में जोड़ी जायें, क्यों नहीं जोड़ी है?

मैं आग्रह करूंगा कि यदि उन्हें नहीं जोड़ा है, तो अगला विधेयक लाकर इसमें उसको जोड़ना चाहिए, जिससे कि ऐसा न लगे कि एक विशेष प्रकार से सांप्रदायिकता का एक आवरण न चढ़े, क्योंकि अकस्मात है कि जिन चार जातियों को लिया है, वे एक विशेष संप्रदाय की है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे सीमा सुरक्षा में बहुत सहायक होंगी, यह मेरी जानकारी है।

इसीलिए, दूसरी जो पहाड़ी जातियां पूंछ और राजौरी क्षेत्र की है, उनमें भी

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

इनको जोड़ा जाना चाहिए। इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Madam, Vice-Chairman, I thank the hon'ble Minister for bringing this Constitution order amendment Bill which seeks to include four more *tribes*, namely, *Gujjar*, *Bakarwal*, Gaddi and Sippi to the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir. The Government does not stand to loose anything because of this, rather the neglected tribes will be benefited. But I request the minister not to reduce the percentage of reservation. He should use his good offices to increase it.

I wish to inform the minister that there are a large number of such castes and tribes which are yet to be included in the respective lists. Even in cases of castes and tribes which are already in the lists, their rights are denied for reasons unknown. For example, there is a tribe known as 'Kaatunaicken' in South Arcot and North Arcot districts of Tamilnadu. This tribe is very much in the list and some *people of this tribe are employed as well.* But of late, the Revenue officials have been harassing the people of this tribe in both these districts refusing to give them necessary certificates. The officials are so cruel that they would not let the neglected people enjoy the benefit of reservation guaranteed by this august House.

Madam, it is a *pity* that we are not able to enforce the law passed by Parliament. In South Arcot district of Tamilnadu, if people of 'Kaatunaicken' tribe approach the officials for 'Caste Cetrificate' they are denied and the officials tell them that the tribe is living only in North Arcot *district*. But Madam, when the people of Kaatunaicken tribe of North Arcot *district approach the officials of* North Arcot district, they are told that this tribe lives only in South Arcot district. Therefore, I request the minister to take up this matter with the State Government to see that they get their rights enshrined in the Constitution. It should be our endeavour to see that the oppressed people of the society get their due. I hope the hon'ble minister will take note of my points.

I thank the chair for giving the this opportunity to speak on this Bill.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Madam, I thank you very much for having called my name. Since the matter refers to my State, I would like to make some submissions. At the outset, I would submit that it is a fact writ large on the record of the State that the State Government had repeatedly recommended not only Gujjars, Bakarwals, Gaddis and Sippis, but also, as Mr. Mathur has said, the Paharis. But to add to the *information* of Mr. Mathur and to the hon. House, I would say the Argons of Ladakh were also recommended. Now that remains in the *bastai kamoshi* or what you say it remained unattended for years together at the Centre, with the result that those tribes suffered a lot and their economic condition further deteriorated. It goes ultimately to the credit of Mr. Chandra Shekhar who for the first time at least recognised four of these tribes, i.e., the Bakarwals, the Gujjars, the Gaddies and the Sippis. These tribes are no doubt there and he rightly recognised them as Scheduled Tribes, but the unfortunate thing is *that there is no criterion* the basis on which the former Government left out the other tribes which were also recommended, that is to say, the Pahari-speaking tribes and the Argons. It was expected of the present Government with greater wisdom, with greater understanding, to be able to set *the wrong right* and bring the present Bill not only to ditto what Mr. Chandra Shekhar rightly did, but also to remove the defect which

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

has come into being, excluding the Pahari-speaking people and also the Argons from this list. There was no reason before this Government not to do it when the recommendation was a joint recommendation and was made by the Government of Jammu and Kashmir by a Cabinet decision of 8th August, 1989—decision No. 159. It reads as follows:

> "The Cabinet discussed the notes submitted by the two hon. Ministers, Shri Handoo and Mirza Abdul Rashid, after their visit to Delhi in pursuance of Cabinet Decision No. 155, dated 31st July, 1989. After full discussion the Cabinet decided to recommend to the Government of India the inclusion of tribes proposed by the Registrar-General of India with the addition of 'Argons' tribes. The Cabinet also decided to recommend to the Government of India that in addition to above, seven other groups, namely, Paharis, Gujjars, Bakarwals, Gaddis, Sippis, Bazigars and Sansis, should also be notified as Scheduled Tribes."

So the recommendation has been balkanised, has been bifurcated by the ex-Government. I would request Mr. Kesari to be kind enough to go through the records and do justice to us by including those tribes which were definitely recommended but have not brought on the list. That is a mistake which they had committed but I welcome this Bill in so far as it has included or recognised the Gujjars, Bakarwals, Gaddis and Sippis and I have to request the hon. Minister that he may kindly make a provision within this session so as to recognise the remaining tribes also as said by Mr. Mathur and rightly so, that they are a people living on the mountains, on the Line of Actual Control, dividing the two parts of Kashmir. Their is an intermixed population. It is not as if Gujjars live here in this particular village, Sippis live in that village, Gaddis live in that and Paharis live in another village. It is not like that. This is an intermixed population, their way of life is the same, their culture is the same and they have the same difficulties and the same economic conditions. In a village if there are five Gujjars, two Bakarwals, three Paharis and some Argons, their problems are the same.

So under the circumstances there appears to be no justification on that ground to exclude some families from the same village living in the same economic conditions. For God's sake do justice and bring it in the very Session so that this injustice is undone. Otherwise we are sending a very wrong message and we are not only balkanising the population but we are creating friction amongst them. On this ground also we will be forcing people to take to agitational ways which we can ill afford in the present circumstances in Kashmir. Our efforts should be to lessen the divergencies, to lessen the differences and lessen the causes of alienation of the people. If we continue in this manner we will be increasing these things which will not be in the national interest. Therefore, I most humbly submit that Mr. Mathur's request, Mr. Narayan's submission and my humble submission may kindly be accepted and the recommendations made recently by the Government of Jammu and Kashmir after due consideration that Gujjars, Bakarwals, Sippis, Gaddis, Pahadi speaking people and Argons should also be included may be accepted. I have full faith that the hon'ble Minister will take this into consideration and do justice to these people. I have an amendment which I will bring up at the appropriate time.

मौलाना औबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मैडम। मैं इस बिल की सरहदों में ही रहकर अपनी बात अर्ज़ करना चाहता हूं।

हुकूमते जम्मू और कश्मीर ने गजर बकरवाल, गद्दी और सिप्पी कबाइल के पहाड़ी जुबान बोलने वाले कबीला और अरगून कबीला को शेड्यूल ट्राइब करार देने की सिफारिश की थी। वह सिफारिश अरसा दराज तक गफ़लत के तहखाने में पड़ी रही। ताहम, जैसाकि सलारिया साहब ने कहा कि मि० चन्द्रशेखर जी की सरकार ने चार कबीलों के लिए मंजूरी देकर इस मसले में एक मुबारक कदम उठाया था और

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

गूजर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी, इन चार कबीलों को शेड्यूल ट्राइब्स करार दिया गया था। लेकिन मैडम, यह बात मेरी समझ से बालासर है कि पहाड़ी जुबान बोलने वाले अरगून कबीले को क्यों नजर-अंदाज कर दिया गया? मैडम, मौजूदा बिल में भी इन कबाइल को दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बिल में तरमीम कर के पहाड़ी बोलने वाले कबीलों और अरगून कबीले को भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया जाय। इसलिए मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं जो इस गरज से हाउस में चौधरी शब्बीर अहमद सलारिया साहब लाए हैं।

मैडम, मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि, गुरबत का खात्मा अगर किया जाय तो किसी भी देश की तरक्की के लिए, जिंदगी के रास्ते साफ होते हैं। गुरबत की मौत देश की जिंदगी बनती है। इंसाफ से तस्वीर संवरती है देश की। मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टैड मिनिस्टर साहब इस मामले में हमदर्दी से गौर करते हुए पहाड़ी कबीले और अरगून कबीले के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब करार देकर उनके लिए जहां अपनी नेकनीयती का मुजाहिरा करेंगे वहीं देश की गुरबत के खात्मे के लिए भी उनका यह फैसला देश के गरीबों की दुआओं को लेनेवाला होगा। शुक्रिया।

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی]

(اتر پردیش) : شکریہ میڈم - میں اس بل کی سرحدوں میں ہی رہکر بات عرض کرنا چاہتا ہوں - حکومت جموں اور کشمیر نے گوجر - بکروال - گدی اور سپی قبائل کے پہاڑی زبان بولنے والے قبیلہ اور ارگون قبیلہ کو شیڈولڈ ٹرائب قرار دینے کی سفارش کی تھی - وہ سفارش عرصہ دراز سے تک غفلت کے تہہ خانے میں پڑی رہی - تاہم جیسا کہ سلاریہ صاحب نے کہا کہ مسٹر چندر شیکھر کی سرکار نے چار قبیلوں کیلئے منظوری دے کر اس مسئلے میں ایک مبارک قدم اٹھایا تھا۔ اور گوجر - بکروال - گدی اور سپی - ان چار قبیلوں کو شیڈولڈ ٹرائب قرار دیا گیا تھا - لیکن میڈم یہ بات میری سمجھ سے بالاسر ہے کہ پہاڑی زبان بولنے والے ارگون قبیلے کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا - میڈم موجودہ بل میں بھی ان قبائل کو درج نہیں کیا گیا ہے - اسلئے میں مانگ کرتا ہوں کہ اس بل میں ترمیم کرکے پہاڑی بولنے والے قبیلوں اور ارگون قبیلے کو بھی شیڈولڈ ٹرائب قرار دیا جائے - اسلئے میں اس ترمیم کی تائید کرتا ہوں جو اس غرض سے ہاؤس میں چودھری شبیر احمد سلاریہ صاحب لائے ہیں -

میڈم میں ایک بات اور عرض کرونگا کہ غربت کا خاتمہ اگر کیا جائے - تو کسی بھی دیش کی ترقی کیلئے - زندگی کے راستے صاف ہوتے ہیں - غربت کی موت دیش کی زندگی بنتی ہے - انصاف سے زندگی سنورتی ہے دیش کی - میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹیڈ منسٹر صاحب اس معاملے میں ہمدردی سے غور کرتے ہوئے پہاڑی

†[ ]Transliteration in Arabic script.

قبیلے اور ارگون قبیلے کے لوگوں کو شیڈولڈ ٹرائب قرار دیکر انکے لئے جہاں اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرینگے وہیں دیش کی غربت کے خاتمے کیلئے بڑی انکا یہ فیصلہ دیش کے غریبوں کی دعاؤں کو لینے والا ہوگا - شکریہ -]

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude in two minutes because you are the single Member from your party. No time is allotted to you either. So please conclude in two minutes... (*Interruptions*)...

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : इनको पार्टी से क्या है, यह तो एक बड़ी महान हस्ती हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): ...because the Minister has to reply now.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, इस बिल के जरिए कुछ नई जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट/शुड्ल्ड ट्राइब्स की सूची में रखने का प्रयास किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि केवल सूची लंबी बढ़ाने से वह प्रशंसा की पात्र नहीं बनेगी। इस सूची में जो लोग पहले से हैं या नई जातियों को सूची में जोड़ा जा रहा है, उसमें उनके वैलफेयर में भी इजाफा किया जाय क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले सालों का कल्याण-विभाग का खर्चा, जिसके प्रभारी हमारे केसरी जी हैं। इस पर पिछले कई सालों से 0.3 परसेंट या 0.4 परसेंट पूरे का खर्च होता रहा है। इस वर्ष पूरे बजट का 0.6 परसेंट खर्च किया गया। पिछले साल 645 करोड़ रुपया पूरे कल्याण विभाग पर खर्च किया गया, जिसमें 133 करोड़ रुपया जोड़ा गया है। अब जिस हिसाब से इन्फलेशन बढ़ेगा, उस हिसाब से यह 133 करोड़ रुपया जोड़ने पर जहां का तहां रहेगा क्योंकि इन्फलेशन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैं चाहता हूं कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो बहुत जोर से ढोल पीटने लगे कि हम तो पिछड़ों का बहुत कल्याण करने के लिए आए हैं और पिछड़ों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इनके बजट में ही इजाफा नहीं हुआ और यहा ढाक के तीन पात-तीन पात ही हैं तो आप पिछड़ों का कल्याण क्या करेंगे ? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लड़ें औय हम लोग आपकी लड़ाई में मदद करेंगे। हमारे देश में सब मिलकर 52 फीसदी पिछड़े लोग हैं, 24 फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग यानी 73 फीसदी ऐसे लोग हैं, जिनके कल्याण के लिए बजट का कम से कम 10 फीसदी तो खर्चा मिलना चाहिए आज तो खर्च हो रहा है 0.6 फीसदी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह बिल लाकर और सूची को लंबा बढ़ाने से फायदा क्या होगा ?

महोदया, केसरी जी ने बहुत जोर से कहा कि हम पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत करेगी। मैं पूछना चाहता हूं क्या काम करेगी ? जो यह डिटेल्ड खर्चे का ब्यौरा है, इनके मंत्रालय द्वारा जो खर्चा दिखाया गया है उसमें 778 करोड़ इस साल का बजट है। इसमें आधा से अधिक तो तामझाम बजाना, नचनिया, बजनिया का बहुत बड़ा खर्च है, फिर विकलांगों पर खर्च है। इस सब खर्चे को मिलाने के बाद मुश्किल से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ढाई या तीन सौ करोड़ रुपया बचता है। बेकवर्ड क्लास पर उसमें सौ करोड़ तो क्या पचास करोड़ भी खर्चा नहीं है। जिस बैकवर्डस के बारे में बहुत जोर-जोर से बोलते हैं कि हम बैकवर्ड क्लास का भला करना चाहते हैं उसके लिए तो पचास करोड़ भी टोटल बजट में प्रावधान नहीं है। आखिर आप यह कैसे करेंगे ?

उपसभाध्यक्ष महोदया, मंडल कमीशन के बारे में जो बहुत जोर से बोलते हैं केसरी साहब, तो मैं उनसे अर्ज करना

[श्री राम अवधेश सिंह]

चाहता हूं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों में यह भी है कि कोचिंग क्लास की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल और होस्टल की व्यवस्था की जाएगी, पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, तो क्या इन सब के लिए पैसे का प्रावधान होगा या नहीं होगा ? (समय की घंटी) कनक्लूड कर रहा हूं मेडम। आपकी कृपा से एक दो मिनट और।

तो मैं कह रहा था कि मंत्री जी ने जिस तरह से मंडल कमीशन के बारे में बयान दिया कि लागू किया जाएगा तो मैंने इनको बधाई दी और मेरे मन में खुशी हुई। लेकिन, केवल लागू किया जाएगा, तो कहां लागू किया जाएगा ? मैं चाहता हूं कि आप बजट के जरिए बतायें कि आप उनके कल्याण के लिए क्या-क्या काम कर रहे हैं ? आपके पास ऐसा है नहीं, आप मार्च-पास्ट करेंगे ? एक कदम ताल, एक जगह पर पैर पीटते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। मेरा कहना यह है कि आप इसके लिए लड़ो, अपनी सरकार के पास कहो कि दस फीसदी कम से कम पूरे बजट का पिछड़ों के कल्याण के लिए खर्चा दें। इस लड़ाई में हम इनका साथ देंगे। लेकिन यह सिर झुका देंगे मेमने की तरह तो फिर हमारा इनसे संघर्ष होगा, हमारी लड़ाई होगी। क्योंकि यह कुछ करने वाले नहीं हैं।

अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो अनुसूचित.. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : लंच के बाद बोल लेना।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन) लंच के बाद ये नहीं बोलेंगे। I am going to adjourn.

श्री राम अवधेश सिंह : लंच के बाद बोलने दीजिएगा। मैं बोलूंगा, आई विल कान्टीन्यू।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We are adjourning for lunch and you will not be allowed to continue. I am calling the next Member, Dr. Faguni Ram.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Prof. Chandresh P. Thakur): in the Chair.

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : फागुनी राम जी, आपका नाम पुकारा गया था, आप नहीं थे ?

डा० फागुनी राम (बिहार) : थे तो, लेकिन लंच हो गया था।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): तो अब आप मंत्री जी को उत्तर देने देंगे या आप बोलना चाहेंगे ? संक्षेप में अगर बोलना चाहें तो बोलें।

डा० फागुनी राम: हां, बिलकुल संक्षेप में।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : जो स्टेटमेंट मंत्री जी देने वाले हैं वह कब होगा ?

उपसभाध्यक्ष(प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): इसके तुरन्त बाद।

डा० फागुनी राम : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम अपके प्रति आभारी हैं कि आपने बोलने का मौका दिया और हम माननीय मंत्री जी के प्रति भी विशेष रूप से आभारी हैं कि उन्होंने कुछ उपजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सम्मिलित करने का निर्णय लिया या निर्णय लेने जा रहे हैं। यह समस्यायें शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की नेशनल समस्यायें हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से समस्यायें हैं। खुशी की बात है कि सम्मिलित किये जा रहे हैं लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट से इनकी अनुशंसा

आई है उन स्टेट की उन जातियों की जहां उनकी हालत खराब है या अभी जो शैडयूल्ड कास्ट या शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग है उनसे भी अधिक खराब है, उन्हें भी सम्मिलित करने के बारे में जो अनुशंसायें हैं उस पर हम अनुरोध करेंगे कि सरकार उस पर क्या कर रही है और या जो स्टेट से अनुशंसा आ गई है उस पर कब तक निर्णय लिया जा सकता है या लिया जायेगा ?

दूसरी बात है कि सम्मिलित करना ज्यादा अच्छा है लेकिन उससे कम जरूरी नहीं है कि जो शेडयूल्ड कास्ट्स या शडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और सरकार के द्वारा जो सुविधायें प्राप्त है, सरकारी धन भी जिस पर खर्च हो रहा है जिसके लिए सारा स्टाफ या शिक्षक या अधिकारी रखे गये हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई है। पैसा भी खर्च हो रहा है और स्टाफ भी लगे हुए है, उसकी निगरानी के लोग भी है, लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसमें कठिनाई हैं, उसका लाभ नहीं हो पाता है कि जिन लोगों को सही लाभ मिलना चाहिए या जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है।

जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए आपने यह कहा कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो शैडयूल्ड कास्ट, शेड्ल्ड ट्राइब के हों, पोस्ट मैट्रिक में सबको अनिवार्य रूप से स्टाईपेंड देंगे। उसके लिए रूल भी बना हुआ है और कांग्रेस की सरकार ने मंहगाई को देखते हुए उसमें बढ़ोत्तरी भी की थी लेकिन वह समय पर नहीं मिलता है। चूंकि ये लोग निर्धन होते हैं, साधनहीन होते हैं, इसलिए वे थोड़े से पैसे के अभाव में, थोड़ी सी सुविधा के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो सुविधायें हैं वे उनको समय पर उपलब्ध कराई जायें ताकि वे लोग पढ़-लिखकर नौकरी की दौड़ में आगे बढ़ सकें और इन सुविधाओं के लाभ से वंचित न रह जायें।

महोदय, एक बात मैं और कहूंगा की निर्धन छात्र जो थोड़ा पढ़-लिख जाते हैं वे लोग गरीब परिवार की आय के साधन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वे कहीं होटल में लग जाते हैं, कहीं गाड़ी के काम में लग जाते हैं और जब गरीब लोग अपने इन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो उनकी आय का स्रोत कम होता है। इसलिए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए ऐसे बच्चों के गार्डियन को कोई वजीफा दिया जाए ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें।

महोदय, अगली बात मैं यह कहूंगा कि आप इस बिल के द्वारा जिन जातियों को शैडयूल्ड ट्राइब्ज में शामिल कर रहे हैं, इससे करीब 7-8 लाख लोगों को फायदा होगा लेकिन हमारा जो आरक्षण का प्रतिशत है, वह प्रतिशत हमारी जनसंख्या में शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्ज के प्रतिशत पर निर्भर करता है। अब आप इन जातियों को शैड्यूल ट्राइब्ज में सम्मिलित करने जा रहे हैं जिनकी संख्या करीब 8 लाख है तो मैं जानना चाहूंगा कि नेशनल लेवल पर जो इन लोगों का अनुपात बढ़ेगा क्या उस अनुपात में आप आरक्षण को भी बढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आरक्षण तो हमारी जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नौकरियों में जो आरक्षण की बात है, वह जनसंख्या पर आधारित है और जब इन नए लोगों को शामिल करने से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसी अनुपात में नौकरियों में आरक्षण को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए उन्हें किताबों की जरूरत होती है और किताबों के लिए स्टाइपेंड मिलता है लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय पर नहीं मिलता है। शैडयूल ट्राइब्ज के बच्चों के लिए जो रैज़िडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं उनका तमाम खर्चा सरकार उठाती है। मैं चाहता हूं कि इन स्कूलों में इन बच्चों के रहने की व्यवस्था देखने के लिए, खान-पान को देखने के लिए और पढ़ाई की व्यवस्था को देखने के लिए उसी समुदाय के एक शिक्षक को रखा जाना

[डा० फागुनी राम]

चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी वहां ऐसे शिक्षकों का अभाव है क्योंकि जो लोग पहले से हैं वही चले आ रहे हैं लेकिन कम से कम उस समुदाय के एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से वहां नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से छात्रों को उन शिक्षकों की सहानुभूति मिल सकेगी और बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी।

अंत में मेरा निवेदन है कि जो रिकमंडेशन बिहार की सरकार की तरफ से आया हुआ है कि पुरनियां, मल्लाह, कोल्ही जातियों को शैड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाए, मैं मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि उनको शीघ्र ही सूची में शामिल किया जाए, ताकि इनको शैड्यूल्ड कास्ट की हैसियत प्राप्त करने से उनको लाभ मिल सके और वे आगे बढ़ सकें।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मंत्री जी से मिलिए, उनको व्यावहारिक सुझाव दीजिए, संवेंनदशील व्यक्ति मंत्री जी हैं ...

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और कुछ जातियों को सम्मिलित करने की मांग भी की है। इस संबंध में एक बात सर्वप्रथम मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी जाति की जनजाति या अनुसूचित जाति में सम्मलित करने के लिए कुछ नियम हैं जो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं। इनमें पहला यह है कि आदिम लक्षणों का संकेत हो। दूसरे, एसी विशिष्ट भाषा, धर्म या संस्कृति हो जो कि आदम के रूप में विचार करने योग्य हो। तीसरे, भौगोलिक अलगाव हो आम लोगों के साथ संपर्क में आने में संकोच हो। चौथे शैक्षिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार का घोर पिछड़ापन हो।

इस संबंध में विशेष रूप में मैं सर्वप्रथम यादव जी की बात को लेता हूं जो उन्होंने राजभर जाति के लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का यह रिकमंडेशन आया है। दूसरे, नायक साहब अभी नहीं हैं, उन्होंने कहा कुछ जातियों को सम्मिलित करने के लिए। तीसरी बात हमारे मौलाना साहब ने भी कही, गरीबों और गुरबत की बातें जो हरिजन और आदिवासी लोगों में पाई जाती हैं। इन सारी बातों को हम देखेंगे...

श्री आर०एस० नायक (कर्णाटक) : कर्णाटक के बारे में भी कहा था।...

श्री सीताराम केसरी : . आपने भी सुझाव दिए हैं, हनुमंतप्पा जी ने भी दिए हैं। तो मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कि विगत कर्नाटक सरकार ने कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में मिलाने के लिए प्रस्ताव किया था और काफी दिनों से ये बातें चल रही हैं। उन जातियों को मिलाने के लिए जैसा मैंने कहा दो बातें हैं। एक तो रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया उसको ऐक्जामिन करके अपनी राय देता है। केन्द्रीय सरकार के सामने जो कठिनाई है वह मैं बता रहा हूं। प्रादेशिक सरकार ने अपनी अनुशंसा भेज दी मगर रजिस्ट्रार जनरल ने अपनी राय में इन जातियों को नियमों के अंतर्गत नहीं पाया। मगर फिर भी जो आप लोगों ने अपने भाषण में सुझाव रखे हैं, वे विशेष सोचनीय हैं। किसी भी प्रदेश में जो इन नियमों को पूरा करते हैं हम चाहेंगे कि जो महापंजीयक हैं उनका भी समर्थन हो। हम बार बार इस दिशा में कदम उठायेंगे। साथ ही हमारी जो कठिनाई है वह मैंने आपके सामने रख दी है। कर्णाटक से जिन जातियों के समर्थन की बात आई थी, विगत सरकार ने आर्डिनेंस जारी करके अध्यादेश के अंतर्गत उनको पास किया था। क्योंकि हमारी सरकार का मंत्रिमंडल बैठा और उसमें महापंजीक का समर्थन नहीं था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और जो जम्मू-कश्मीर के समर्थन से 16 जातियां हमारे पास आई थी उनमें से आठ जातियों का तो भूत में नोटिफिकेशन हो चुका और दो जातियों को गूजर और बकरवाल को पूर्व की सरकार ने सम्मिलित कर लिया और फिर हमारी सरकार के मंत्रिमंडल ने

इन सभी पर विकार करने के बाद दो जातियां सिप्पी और गद्दी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया । जहां तक पहाड़ी जातियों का सवाल है मैंने आप से कहा कि अगर वे नियमों के अन्तर्गत आती तो मुझे उसमें दिक्कत न आती, मैं उसका स्वागत करता । मेरी जो कठिनाई है उस कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो आपका अमेंडमेंट है उसको वापस ले लें, मैं उस पर विचार करूंगा । हर प्रदेश की जातियों का जो प्रश्न है उसे गम्भीरता से सोचने की बात है । अगर वह नियमों को अप्लाई करता है, जिन नियमों को रखा गया है उन नियमों को वे मीट करता है तो उनको मानने में हमें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी । क्योंकि प्रादेशिक सरकार अपने यहां से जिन नामों को भेजती है जनजाति और अनुसूचित जाति लिस्ट में सम्मिलित करने के लिए उनकी हम छानबीन करते हैं और जो नियम के अन्तर्गत आती है उनका हम स्वागत करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि जो यादव जी ने कही और फागुनी राम जी ने कही अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के विषय में । इन्होंने कहा कि आरक्षण हो जाता है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती । यह सच है । बहुत सा बैकलॉग रह जाता है । आरक्षण के होते हुए भी उनकी पदोन्नति नहीं होती है, भर्ती नहीं होती है । यह इसलिए होता है कि वे रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हैं । यहां पर मैं आपको अपना विचार बताना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार सोच रही है कि इस चीज को कैसे हम रोकें । आरक्षण का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं कि समाज का एक अंग विकलांग है । सोसाइटी में इसलिए आरक्षण की कल्पना की गई है । उसी के आधार पर यह विचाराधीन बात है कि बैकलॉग न रहे, कैरीफार्वर्ड हो जाए और जिनके साथ अन्याय हो उसको यह अधिकार हो कि वह अपने अधिकार के लिए किसी भी कोर्ट में जा सके । यह ठीक है । मैं भी मानता हूं । इस दिशा में...

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): क्या कोई इस विषय में विशेष अभियान चलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री सीताराम केसरी : अभियान देखिए, चलाते हैं गैर सरकारी दल । सरकार नहीं चलाती है । सरकार अपना विचार देती है और उसको क्रियान्वित रूप देने पर विचार करती है ।

श्री राम नरेश यादव : सरकार की ओर से कोई आदेश जायेगा कि यह करने जा रहे हैं...

श्री सीताराम केसरी : सरकार आपको निर्देश नहीं अपना निवेदन भेज सकती है । मैंने आपके सामने विचार रखे है । यही विचार तो आपको सोचने हैं और यही विचार तो आन्दोलन बनेगा और हम इन्हीं को कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रसर हैं ।

जहां तक आरक्षण की प्रतिबद्धता का सवाल है, यादव जी आप जानते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण के प्रति अटूट है । जहां तक मंडल कमीशन का प्रश्न है मंडल कमीशन की सारी रिपोर्ट अभी कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए उस पर कोई विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं । यह हमारी कठिनाई है । इन शब्दों के साथ विशेष समय लिये बगैर मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को ज्यों का त्यों आप पारित कर दें । मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप यह विधेयक पारित कर दें ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मंत्री जी, आप और आपकी सरकार जो कुछ काम कर रही है सराहनीय है लेकिन चार बातें जो बहस में सुनने में आयी हैं वे यह हैं कि आरक्षण के आधार के संबंध में कुछ लोगों ने सवाल उठाया था । दूसरा, जिस आधार पर जातियों का चयन होता है उसमें कुछ लोग नये सुझाव देते रहे हैं और अभी श्री फागुनी राम जी ने कहा संरक्षण दिये जाने के बारे में और जो उपलब्धियां हुई हैं, उनके विश्लेषण के लिये । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से, एक नये अभियान की बात नहीं' नये अनुरोध की बात है और उसके कार्यान्वयन के लिये तत्परता की मांग है । तो क्या इस सिलसिले में आप कुछ विशेष आश्वासन देंगे ?

श्री सीताराम केसरी : इस दिशा में मैं कहता हूं कि जो कमियां रह गई हैं, जो भी उपलब्धियां कम रही हैं, हम उनकी ओर प्रतिबद्ध हैं । मैं चाहूंगा कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय । मगर जो कठिनाइयां सामने हैं, वे सबके सामने हैं कि क्या क्या कठिनाइयां नीचे के स्तर पर होती हैं । इन कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरा विभाग इस दिशा में कदम उठायेगा । इन जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जो कठिनाइयां हैं, उसी के लिये कल्याण विभाग है । इस दशा में हम अग्रसर होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The question is:

"That the Bill to provide for the inclusion of certain tribes in the list of Scheduled Tribes specified in relation to the State of Jammu and Kashmir, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one amendment by Shri Salaria. Are you withdrawing it?

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I am making a submission.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Are you withdrawing it?

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I would make a submission after what the hon. Minister has said and that will not necessitate your question. Sir, the hon. Minister, in his statement, said that this is not the end of the matter and that he would consider those who are left out but have been recommended by the State Government and bring up their cases for being considered by Parliament. The only thing I would submit in this regard is that the Government of Jammu and Kashmir had recommended Paharis and Argons also and the erstwhile Government of Mr. Chandra Shekhar issued an Ordinance leaving these two. . .

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You have already submitted it.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: This is with regard to my amendment. At present we are faced with a situation where these have been left out for no reason and the hon. Minister says that he is handicapped because he has to receive certain reports.

I have all faith in him and I hope that he will do it, and do it within this session. I do not move my amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SITARAM KESRI: I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मालवीय जी, आप संक्षेप में बोलिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): मैं केवल आधा मिनट लूंगा । गूजर, बकरवाल इनको सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो संविधान में दी गई हैं लेकिन कुछ पहाड़ी स्पीकिंग जातियां हैं जिनके लिए मंत्री जी ने जवाब दिया है हालांकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने संस्तुति दे रखी है लेकिन उसके लिए कुछ नियमों में कठिनाई है । तो पहला मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है ? दूसरा यदि सरकार की इच्छा है और जम्मू-कश्मीर सरकार ने संस्तुति दे ही रखी है तो नियमों को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी

चाहिये। नियमों में ढील कर के लागू कर दिया जाए जिससे जिन शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकार ने संस्तुति दे रखी है उनको भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान): श्रीमन् मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। सरकार पिछड़ों को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और अटूट विश्वास है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जिन नियमों को पढ़ कर सुनाया वह नियम उनके लिए बाधक हैं। ऐसी अन्य जातियों का राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 44 साल के पश्चात् भी जो व्यक्ति सरकार के द्वारा इतना प्रोत्साहन देने के बाद आगे नहीं आ पाए तो क्या उन नियमों में संशोधन कर के ऐसे पिछडों को आगे लाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): आपकी बात मंत्री जी ने सुन ली है (व्यवधान) मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सीता रामकेसरी: मैं पहले कह चुका हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): सारी बातें वह कह चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है आप इनके आश्वासन को मानिये।

Now, the question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): सदन के सामने मैं यह ला दूं कि हमारे मंत्री जी का इस सदन में यह मेडन बिल था। मंत्री जी को हम शुभकामनायें देते हैं। इस तरह से समाज के वर्गों की सहायता के लिये बिल लाइये और ऐसे काम करते रहिये। (व्यवधान)

श्री आर० एस० नायक: वह पूरा नहीं हुआ। अधूरा रहा है (व्यवधान)

STATEMENT(S) BY MINISTER(S)—RAIL ACCIDENT AT SONIK STATION OF LUCKNOW DIVISION ON 4-8-1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Sir, With profound regret, I apprise the House of an unfortunate accident involving 1144 Chhapra-Gwalior Mail and a Military Special that occurred at Sonik station on the Kanpur-Lucknow Broad Gauge Single Line Section of Northern Railway at about 8.00 hours on 4.8.1991.

The Military Special from Kanpur was received on the Loop Line at Sonik Station at about 07.55 hours and shortly thereafter 1144 Chhapra-Gwalior Mail from the opposite direction came on to the occupied line and collided head-on with the Military Special resulting in the derailment of the train engine and three wagons next to the engine of the Military Special and the first two coaches of 1144 Chhapra-Gwalior Mail. *Prima-facie,* the collision occurred due to the driver of 1144 Chhapra-Gwalior Mail, overshooting the reception signals. As a result of the accident, 9 person lost their lives and 28 persons sustained injuries.

Immediately on receipt of information about the accident, the Divisional Railway Manager, Lucknow, along with a medical team and divisional officers rushed to the site by road. Medical Vans from Lucknow and Kanpur with doctors were also rushed to the site. The General Manager, Northern Railway alongwith heads of departments also proceeded to the site to oversee the resoue and relief arrangements.

I proceeded to the site by a Special Air Force plane at 12.30 hours alongwith senior officers of the Railway Board and Northern Railway. I visited the injured who were admitted in the hospitals at Unnao and Lucknow.